प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of payment of Dearness Relief 51% from 01.01.2011
Ref:- 1.Accountant General (A&E) Uttarakhand, Dehardoon SSA
PA/Pen/UK/Relief/11-12/2268 Dt. 21.12.2011
2. Government of Uttarakhand No.XXVI(7)02/2011 Dt.30.09.2011

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) , UTTARKHAND in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

(40)

PM 30840/411 6/1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून)

पत्रांक : पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/11–12/2268

दिनांक : 21/12/11

O/o. A.G. (A&E) 9 JAN 2012

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक0),

आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद

विषयः उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को मंहगाई राहत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या वित्त (सा0नि0–के0आ0) अनुभाग–7 संख्या 224/XXVII(7) 02/2011 दिनांक 30.09.2011 (1जनवरी 2011 से 115 प्रतिशत) एवं संख्या 222/XXVII (7) 02/2011 दिनांक 30.09.2011 (1जनवरी 2011 से 51प्रतिशत) की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि इन्हें अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनरों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

PM 183409 18/1/12

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

21357

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः / XXVII(7)02/2011
देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:734/xxvii(7)म0रा0/2010 दिनांक 26 अक्टूबर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 26 अक्टूबर,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1–1–2011 से महंगाई राहत की एक और किश्त 6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांकः 1–1–2011 से राहत की दर बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO. /XXVII(7)02/2011
Dehradun : Dated : 30 September,2011

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office No- 734/XXVII(7)DR/2010, dated:26 October,2010 on subject mentioned above sanctioning an installment Dearness Relief with effect from 01 July, 2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate 6% (Six Percent) with effect from 01 January, 2011 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated October,2010 refered to above accordingly the rate dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2011 risen to 51%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching non-teaching pensioners of Institutions aided from under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

संख्या222/XXVII(7)02/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

9– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No.222/XXVII(7)02/2011, the date

Copy forwarded to following for information and nec action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and P Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhan

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy B Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 5 copies with the request that account officers of othe be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with reque 500 copies of this G.O. be got printed and sent to t please.

8- Finance, audit ~~sale~~ Cell, Govt. of Uttrakhand.

9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या: /XXVII(7)02/2011
देहरादून, दिनांक: 30 सितम्बर,,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 801/xxvii(7)मं.रा./2010 दिनांक 24 दिसम्बर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से महंगाई राहत की 103 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पैंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 24 दिसम्बर,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जनवरी,, 2011 से 115 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO. /XXVII(7)02/2011
Dehradun : Dated : 30 September,2011

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-801/XXVII(7)DR/2010, dated: 24 December 2010 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1-7-2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate with effect from 01 January, 2011 to 115 %, in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated December,2010 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided by state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief on pension and as such the payment, of dearness relief admissible under, this O.M. shall be made by paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondiyal)
Secretary

संख्या-224/XXVII(7)02/2011, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No. 224/XXVII(7)02/2011, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services Uttrakhand.

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoi Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be printed and sent to the Govt. please

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary